(7)

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

वाद सं0- 115/09-10

अन्तर्गत धारा- 143 यू0पी0जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट

ग्राम- हाथीपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

श्री मोहन लाल — बनाम — उ0प्र0 सरकार आदि।

उद्घोषणा - निर्णय - दि0 05/3/10 (हस्ताक्षर)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री मोहन लाल पुत्र उजागर निवासी-कुड़नुबियापुर नगर तहसील व जनपद-कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनांक-25.01.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है, कि ग्राम-हाथीपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412-1417 फसली की खाता सं0-408 की गाटा सं0-2स/0.2058हे0 का जुज रकबा 0.6848हे0 व आराजी सं0-4 रकबा 0.9768हे0 के जुज रकबा 0.3253हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नहीं लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय घोषित कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से कराया गया, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनांक-03/03/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है कि ग्राम-हाथीपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412-1417 फसली की खाता सं0-408 की गाटा सं0-2स/0.2058हे0 का जुज रकबा 0.6848हे0 व आराजी सं0-4 रकबा 0.9768हे0 के जुज रकबा 0.3253हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज0वि0नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक-03/03/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुक्कुट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम-हाथीपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1412-1417 फसली की खाता सं0-408 की गाटा सं0-2स/0.2058हे0 का जुज रकबा 0.6848हे0 व आराजी सं0-4 रकबा 0.9768हे0 के जुज रकबा 0.3253हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

दिनांक- 5/3/2010

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या— 996 10/3/10

मोहन लाल 10/3/10 10/3/10

सत्य प्रतिलिपि

उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता

प्रार्थना पत्र की क्रम संख्या...4180... 12-2-18
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक...12/02/2018...
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम...राज कुशवाहा
प्रतिलिपि तैयारी दिनांक...16/02/2018...
प्रतिलिपि देने का दिनांक...16/02/2018...
रुपये...12:00/-...

सत्य-प्रतिलिपि

वाचक 16/2/18

उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

निरस्त

न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

वाद सं0- 154/09-15

अन्तर्गत धारा- 143 यू0पी0जे0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट

ग्राम- सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

श्री शिवशंकर आदि — बनाम — उ0प्र0 सरकार आदि।

नकल-निर्णय-दि0-23/02/10 (छायाप्रति)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री शिवशंकर पुत्र मल्लू प्रसाद निवासी-ग्राम-बौसर तहसील व जनपद-कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनांक-24.12.2009 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमे कहा गया है, कि ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410-1415 फसली की खाता सं0-674 की गाटा सं0-1181/0.3280हे0 व खाता सं0-729 की गाटा सं0-1181/0.3050हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे अंकित है, प्रश्नगत [illegible] किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग मे नही लायी जा रही है, ऐसी दशा मे भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जाच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जाच आख्या दिनांक- 09/02/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है, कि ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410-1415 फसली की खाता सं0-674 की गाटा सं0-1181/0.3280हे0 व खाता सं0-729 की गाटा सं0-1181/0.3050हे0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय मे कृषि कार्य नही हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या मे उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या मे ज0वि0नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत सूचना/वितरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनाक-09/02/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एव भूमि पर अकृषिक गतिविधियॉ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा-143 के अर्न्तगत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

तैयार कर्ता

मिलान कर्ता

आदेश

ग्राम-सलेमपुर परगना व तहसील व जिला-कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410-1415 फसली की खाता सं0-674 की गाटा सं0-1181/0.3280हे0 व खाता सं0-729 की गाटा सं0-1181/0.3050हे0 को ज0 वि0 एव भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम

23/2/2010

सत्य-प्रतिलिपि

दिनांक

उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

... की क्रम संख्या 4181
... देने का दिनांक 12/02/2010
... देने वाले का नाम ...
... तैयारी दिनांक 16/02/2010
... देने का दिनांक 16/02/2010

निरस्त

(17)

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

वाद सं0- 45 / 09-10

अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जे0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट

ग्राम- सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

हीरालाल बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

नकल- निर्णय आदेश- 23/02/10 (हस्ताक्षर)

निरस्त

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री हीरालाल पुत्र धनकऊ निवासी ग्राम सलेमपुर कानपुर नगर तहसील जिला कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनांक-08.02.2010 के आधार पर आरम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है, कि ग्राम-सलेमपुर की खाता सख्या-761 की आराजी ~~सख्या~~- 1182मि0/0.041है0 व 1185मि/0.113है0 कुल 2 किता रकबा 0.154है0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नही लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

निरस्त

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जाच आख्या दिनांक- 19/02/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है, ग्राम-सलेमपुर की खाता सख्या-761 की आराजी संख्या-1182मि0/0.041है0 व 1185मि/0.113है0 कुल 2 किता रकबा 0.154है0 प्रार्थी/वादी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय मे कृषि कार्य नहीं हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज0वि0नियमावली के नियम-135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

निरस्त

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक-19/02/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा-143 के अर्न्तगत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

निरस्त

आदेश

ग्राम-सलेमपुर की खाता सख्या-761 की आराजी सख्या-1182मि0/0.041है0 व 1185मि/0.113है0 कुल 2 किता रकबा 0.154है0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेज जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

निरस्त

तैयार कर्ता

मिलान कर्ता

नकल की क्रम संख्या 4182

नकल देने का दिनांक 14/02/2018

दिनांक- 23

नकल तैयारी दिनांक 16/02/2018

नकल देने का दिनांक 16/02/2018

12:00

265

सत्य-प्रतिलिपि

वाचक 16/2/18

उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

(प्रहलाद सिंह)

सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/

उपजिलाधिकारी सदर

कानपुर नगर

(18)

न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी सदर, कानपुर नगर।

वाद सं0- 97 - 2010
अन्तर्गत धारा- 143 यू0पी0जेड0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
ग्राम- सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

...त्य नरायन बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

निरस्त

नकल - निर्णय - दि0 - 23/02/10 (छायाप्रति)

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री सत्य नरायन पुत्र मेघा निवासी ग्राम सलेमपुर तहसील व कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनांक-10.02.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा ... कि ग्राम-सलेमपुर की खाता सख्या-738 की आराजी संख्या-1182मि0/0.154है0 प्रार्थी के ...क्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, ...ी कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के ...में नही लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना ... है, ताकि आवश्यकता पडने पर उसका उपयोग कर सके।

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने ... जांच आख्या दिनाक- 19/02/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है, कि ...सलेमपुर की खाता सख्या-738 की आराजी संख्या- 1182मि0/0.154है0 प्रार्थी के नाम ...णीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं हो रहा है, और ... भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील ...या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या ...0वि0नियमावली के नियम--135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। ...र प्रस्तुत आख्या दिनांक--19/02/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी ...कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर ...षिक गतिविधियाँ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा-143 के अन्तर्गत ...षिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

ग्राम-सलेमपुर की खाता सख्या-738 की आराजी संख्या-1182मि0/0.154है0 को ज0 वि0 ...भूमि व्यवस्था अधिनियन की धारा-143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, ...नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक-एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित ...निबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषणार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही ...खिल दफ्तर की जाये।

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता
सत्य-प्रतिलिपि
वाचक 16/2/18
उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

...नांक- 23-2-2010

...की क्रम संख्या 4183
...देने का दिनांक 12/02/2018
...पत्र देने वाले का नाम
नकल तैयारी दिनांक 16/02/2018
नकल देने का दिनांक 16/02/2018
...12...

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम
श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

(19)

वाद सं0– 1057/09–10
अन्तर्गत धारा– 143 यू0पी0ज0वि0ए0 एण्ड एल0आर0 एक्ट
ग्राम– सलेमपुर परगना व तहसील व जिला कानपुर नगर।

श्री कल्लू बनाम उ0प्र0 सरकार आदि।

नकल – **निर्णय** दि0– 23/03/10 (हिन्दी प्रति)

निरस्त

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही श्री कल्लू पुत्र रतीराम निवासी–ग्राम–सलेमपुर, तहसील व जनपद–कानपुर नगर के प्रार्थनापत्र दिनाक–28.01.2010 के आधार पर प्रारम्भ की गयी, जिसमें कहा गया है, कि ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410–1415 फसली की खाता सं0–582 की गाटा सं0–1186मि0/0.410हे0 प्रार्थी के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे अंकित है, प्रश्नगत भूमि के किसी भी अंश पर कृषि कार्य, बागवानी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन आदि का कार्य नहीं हो रहा है, उपर्युक्त भूमि कृषि कार्य के प्रयोग में नही लायी जा रही है, ऐसी दशा में भूमि का उपयोग अकृषिक/आवासीय दर्ज कराना चाहता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सके।

निरस्त

प्रार्थनापत्र की जांच तहसीलदार सदर, कानपुर नगर से करायी गयी, तहसीलदार सदर ने अपनी जांच आख्या दिनाक–09/02/2010 को प्रेषित करते हुये यह उल्लिखित किया है, कि ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410–1415 फसली की खाता सं0–582 की गाटा सं0–1186मि0/0.410हे0 प्रार्थी/वाद के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, भूमि पर वर्तमान समय में कृषि कार्य नहीं हो रहा है, और न ही भूमि पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य हो रहा है, तहसील आख्या में उक्त भूमि को अकृषिक/आवासीय घोषित किये जाने की संस्तुति की गयी है। आख्या में ज0वि0नियमावली के नियम–135 के अन्तर्गत सूचना/विवरण भी प्रस्तुत किया गया है।

निरस्त

मैने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखो/साक्ष्यों का अवलोकन किया तथा वादी पक्ष को सुना। पत्रावली पर प्रस्तुत आख्या दिनांक–09/02/2010 के अवलोकन से स्पष्ट है, कि उक्त आराजी पर कृषि कार्य/बागवानी/कुकुक्ट पालन/मत्स्य पालन आदि कार्य नही हो रहा है, एवं भूमि पर अकृषिक गतिविधियाँ विद्यमान है, उक्त भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

निरस्त

आदेश

ग्राम–सलेमपुर परगना व तहसील व जिला–कानपुर नगर की खतौनी वर्ष 1410–1415 फसली की खाता सं0–582 की गाटा सं0–1186मि0/0.410हे0 को ज0 वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक/आवासीय घोषित किया जाता है, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार सदर व सम्बन्धित उपनिबन्धक को आवश्यक कार्यवाही हेतु/सूचनार्थ भेजी जाये। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर की जाये।

निरस्त

तैयार कर्ता
मिलान कर्ता

सत्य–प्रतिलिपि
वाचक 16/2/18
उप जिलाधिकारी, कानपुर नगर

दिनांक– 23/03/2010

(प्रहलाद सिंह)
सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी/उपजिलाधिकारी,
कानपुर नगर।

निरस्त

प्रार्थना क्रम संख्या 4184
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 12/02/2018
प्रार्थना पत्र देने वाले का नाम [illegible]
नकल तैयारी दिनांक 16/02/2018
नकल देने की दिनांक 16/02/2018
रुपये 12.00

सत्य–प्रतिलिपि

तैयार कर्ता